

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)वी-839/लिंक नं.-12894/2013/अलेसे-III 4550 दिनांक :- 01-10-2019

कार्यालय आदेश

श्री गोवर्धन लाल प्रजापत, कनिष्ठ लेखाकार को कोषाधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 25.09.2019 के आवेदन अनुसार माह अक्टूबर 2019 में दिनांक 02.10.2019 से 07.10.2019 तक भ्रमण हेतु विदेश(थाईलैंड) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फैक्स न. आदि सूचित करेंगे।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेंगे।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेखों/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/ के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)वी-839/लिंक नं.-12894/2013/अलेसे-III 4550 दिनांक :- 01-10-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 25.09.2019 के क्रम में।
2. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर में अपलोड हेतु।
3. श्री गोवर्धन लाल प्रजापत, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी श्रीगंगानगर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)